उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग/पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 के आधार पर राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग–2020 की आन–लाईन विस्तारित मॉप अप चरण–II काउन्सिलिंग(केवल राजकीय नर्सिंग/पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानो की रिक्त सीटों हेतु) प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, नियम व शर्तें

केवल राजकीय नर्सिंग/पैरामेडिकल संस्थानों में रिक्त रह गई /होने वाली राज्य कोटे की सीटों पर उत्तराखण्ड राज्य काउन्सिलिंग–2020 की ऑन–लाईन विस्तारित मॉप अप चरण– II काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन प्रक्रिया की जानी है। इस क्रम में बोर्ड द्वारा छात्र हित में ऑन–लाईन विस्तारित मॉप अप चरण– II की काउन्सिलिंग प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार नियम शर्तें निर्धारित की जाती हैः–

1. **विस्तारित मॉप अप चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु पात्रताः–**
   - ऐसे समस्त इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी जिनके द्वारा हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय नर्सिंग/पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 में प्रतिभाग किया गया हो, विस्तारित ऑन–लाईन माप–अप चरण– काउन्सिलिंग में नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते हैं।
   - ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण/मॉप चरण/विस्तारित मॉप अप चरण प्रथम में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ना की गयी हो और विस्तारित मॉप–अप चरण– II में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो। तो वे नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते है।
   - ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण/मॉप चरण/विस्तारित मॉप अप चरण प्रथम में आवंटित हुई सीट पर निर्धारित तिथि तक प्रवेश कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी हो, तथा वे सीट अपग्रेडेशन हेतु विस्तारित मॉप–अप चरण– II में प्रतिभाग/सम्मिलित होना चाहते हों।
   - ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण/मॉप चरण/विस्तारित मॉप अप चरण प्रथम में आवंटित सीट पर निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लिया गया हो अथवा प्रवेश लेने के उपरान्त अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया गया हो, वे भी आन–लाईन विस्तारित मॉप अप काउन्सिलिंग चरण– II में प्रतिभाग/सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे।
   - ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम/द्वितीय चरण/मॉप चरण/विस्तारित मॉप अप चरण प्रथम काउन्सिलिंग में पंजीकरण ना कराया हो और विस्तारित मॉप–अप चरण– II एवं आगामी चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो।

2. **आन–लाईन विस्तारित माप–अप चरण द्वितीय काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्कः–**
   - उपरोक्तानुसार पात्र प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को विस्तारित मॉप अप चरण द्वितीय की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग/सम्मिलित होने हेतु पृथक से **धनराशि रूपया 500/–(मात्र पॉच सौ रू0) नान रिफनडेवल पजीकरण शुल्क** के रुप में केवल ऑनलाईन माध्यम से ही जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे माप–अप चरण काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह नही माने जायेगें।
   - विस्तारित मॉप–अप काउन्सिलिंग चरण द्वितीय में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को पंजीकरण धनराशि **(रुपया 500/–) केवल आन–लाईन प्रणाली** (Credit/Debit Card/Net banking) के आधार पर आन–लाईन जमा करनी अनिवार्य होगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के काउन्सिलिंग चरणो मे पंजीकरण करवाया जा चुका है को भी विस्तारित मॉप–अप काउन्सिलिंग चरण द्वितीय में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण धनराशि (रुपया 500/–) जमा करानी अनिवार्य होगी।

3. **आन–लाईन विस्तारित मॉप अप चरण द्वितीय काउन्सिलिंग प्रक्रियाः–**

(i) उपरोक्तानुसार समस्त इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी, जो मॉप अप काउन्सिलिंग चरण में प्रतिभाग/सम्मिलित होना चाहते हैं, ऑन–लाईन विस्तारित माप–अप काउन्सिलिंग चरण द्वितीय समय सारणी के अनुसार विश्वविद्यालय वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर इस हेतु दिये गए Nursing Entrance Exam-2020 लिंक पर विस्तारित माप अप चरण द्वितीय हेतु **आनलाईन पंजीकरण शुल्क जमा** कराते हुये अपना **आनलाईन पंजीकरण करवाना** अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में वे विस्तारित मॉप अप काउन्सिलिंग चरण द्वितीय में सम्मिलित होने हेतु अर्ह **नहीं** होंगे।

(ii) विस्तारित मॉप–अप चरण द्वितीय काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित समयावधि में **पंजीकरण करने के उपरान्त आन–लाईन आवेदन फार्म को भरते हुये समस्त वाछित अभिलेख अपलोड कर ,नवीन च्वाईस फिंलीग (New Choice lock) करना अनिवार्य होगा।** अन्यथा की दशा में वे मॉप–अप चरण काउन्सिलिंग में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन हेतु अर्ह **नही** माने जायेगें। पूर्व के चरणों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस फिंलीग स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अतः मॉप–अप चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे विस्तारित मॉप–अप चरण द्वितीय हेतु निर्धारित समयावधि में उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया को अनिवार्य रुप से पूर्ण कर लेवें।

(iii) यदि कोई इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी आन–लाईन आवेदन प्रपत्र में भरी गयी किसी सूचना, अपलोड किये गये मूल अभिलेखो की स्कैन पी0डी0एफ0 (PDF) कापी तथा मॉप–अप चरण हेतु भरी गयी च्वाईस फीलिग में कोई भी परिवर्तन (संशोधन) करना चाहता है, तो अभ्यर्थी को द्वितीय काउन्सिलिंग चरण हेतु पंजीकरण की निर्धारित तिथियो के दौरान ही, संशोधन हेतु रुपया– **200/–(रुपया दो सौ)** Online माध्यम से संशोधन पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का संशोधन (केवल च्वाईस फिलिग एवं अभिलेख अपलोड) करने हेतु, अभ्यर्थी को प्रत्येक बार रुपया 200/– (रुपया दो सौ) देकर पंजीकरण की निर्धारित तिथियो के दौरान ही पूर्ण रुप से भरना होगा। प्रत्येक संशोधन के पश्चात पूर्व में किया गया आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। **अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये आवेदन ई–मेल/दूरभाष के माध्यम से स्वीकार नही किया जायेगा।**

(iv) अभ्यर्थी आन–लाईन आवेदन पपत्र में भरी गयी किसी सूचना, भरी गयी च्वाईस (विकल्प) तथा मूल अभिलेखो की स्कैन पी0डी0एफ0 (PDF) कापी को **विलम्बतम पाठ्यक्रमवार निर्धारित की गयी तिथि तक ही** परिवर्तित (edit) कर सकते है।

(v) **अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण रुप से आवेदन फॉर्म भरने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने पास अनिवार्य रुप से सुरक्षित रखना होगा। भविष्य मे आवेदन के सन्दर्भ में किसी भी पृच्छा/जानकारी अथवा प्रकरण का निस्तारण इस आवेदन फॉर्म के प्रिन्ट आउट के आधार पर ही काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा।**

(vi) यदि ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिंलिग को SAVE करने के उपरान्त LOCK नही किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस को ऑन–लाईन प्रणाली द्वारा निर्धारित समयावधि उपरान्त स्वतः ही LOCK कर दिया जायेगा तथा यह माना/समझा जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन हेतु यही च्वाईस भरी गयी है। परन्तु यदि ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिंलिग को SAVE भी नही किया जाता है, तो अभ्यर्थी को विस्तारित मॉप–अप चरण द्वितीय सीट आवंटन हेतु अर्ह नही माना जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अपनी भरी गयी च्वाईस को SAVE तथा LOCK कर लेवें।

(vii) मॉप अप काउन्सिलिंग चरण हेतु पाठ्यक्रमवार समय–सारणी विश्वविद्यालय वैबसाइट www.hnbumu.ac.in में पृथक लिंक पर अपलोड की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पाठ्यक्रमवार मॉप अप काउन्सिलिंग समय–सारणी का भली भांति अवलोकन कर लेवें।

(viii) पाठ्यक्रम/संस्थान वार रिक्त सीटों की अद्यतन सूचना (सीट मैट्रिक्स) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पृथक से अपलोड की गयी है। उक्त प्रदर्शित सीटों की संख्या घट–बढ़ सकती हैं।

(ix) पाठ्यक्रम/संस्थानवार शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर पृथक से अपलोड की गयी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीन विकल्प भरने से पूर्व शुल्क संबंधी जानकारियों का अवलोकन कर लेवें।

(x) छात्रहित में माप–अप काउन्सिलिंग हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित नियम/शर्ते/प्रक्रिया को बदलने का काउन्सिलिंग बोर्ड/उत्तराखण्ड शासन को अधिकार होगा।

4. सीट अपग्रेडेशनः–

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें राज्य स्तरीय नर्सिंग/पैरामेडिकल काउन्सिलिंग 2020 में बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय/मॉप अप चरण/विस्तारित मॉप चरण प्रथम की काउन्सिलिंग में किसी संस्थान में सीट आवंटित हुई हो तथा वे विस्तारित मॉप अप काउन्सिलिंग चरण द्वितीय में सीट आवटंन की कार्यवाही में सम्मिलित होकर उक्त आवंटित सीट को बदलना चाहते हो, तो उन्हें इसकी अनुमति होगी। परन्तु उक्त सीट आवंटन की कार्यवाही केवल अभ्यर्थी की नर्सिंग/ पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 की मेरिट एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही की जाएगी। इस हेतु ऐसे इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को विस्तारित मॉप अप चरण द्वितीय की काउन्सिलिंग में निर्धारित तिथि/समय/प्रक्रियानुसार अपना पंजीकरण कराने के उपरान्त काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
- **एक बार पूर्व आंवटित सीट को परिवर्तित कर (Upgrade कर) यदि अभ्यर्थी को कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा ऑन–लाईन विस्तारित माप–अप चरण द्वितीय में दूसरे संस्थान/पाठ्यकम की सीट आंवटित कर दी जाती है तो उसका पूर्व में आवंटित सीट पर अधिकार तत्काल समाप्त हो जाएगा** तथा उस रिक्त सीट को कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा मेरिट के कम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को आवंटन कर दिया जाएगा। सीट को परिवर्तित (Upgrade) नहीं होने की दशा में पूर्व आवंटित सीट पर अभ्यर्थी का प्रवेश/अधिकार यथावत बना रहेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तारित माप–अप चरण द्वितीय में सीट परिवर्तन का विकल्प चुनने से पूर्व भली–भॉति विचार कर लें।

5. आरक्षण

I. विस्तारित मॉप–अप चरण द्वितीय काउन्सिलिंग मे पंजीकृत हुये अर्ह अभ्यर्थियों को राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।

II. किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, कॉउन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।

III. ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र आई0एन0सी0,नई दिल्ली द्वारा इस सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक अथवा काउंसिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैद्य (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16–02 (ओ0बी0सी0)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार

ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वें अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैद्यता (validity) को भली–भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगे।

IV. शासनदेश संख्या 570/कार्मिक–2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (**DPW**) **हेतु** आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिको के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

V. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तो/प्रतिबन्धो के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्र 2020–21 के लिये मान्य/निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

VI. किसी आरक्षित श्रेणी एवं उप श्रेणी के उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त रहने/होने पर द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरी जाएगीं।

6. अन्य सामान्य नियम/शर्ते

I. विस्तृत जानकारी हेतु उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु पाठ्यक्रमवार प्रकाशित **Information Bulletin** का पुनः अध्ययन कर लेवें।

II. काउॅन्सिलिंग की प्रक्रिया, समय–सारणी, अद्यतन सीट मेट्रिक्स,एवं काउॅन्सिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड़ की जा रही है एवं भविष्य में भी काउन्सिलिंग संबंधी प्रत्येक अद्यतन जानकारी विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रुप से विश्वविद्यालय वैबसाईट का अवलोकन करते रहें।

उत्तराखण्ड नर्सिंग/पैरामेडिकल काउन्सिलिंग बोर्ड 2020